न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 70/2024
जी.सी.एम.एस– 2024/106

अपीलार्थी :–

जिया पुत्री श्री बगताराम पत्नी श्री प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम बिरमपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर हाल पतासर, बाडमेर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. लूम्बाराम पुत्र बगताराम
2. ओमी पुत्री गोरखाराम
3. चंदू पुत्री गोरखाराम
4. अखाराम पुत्र नारायणराम
5. अर्जुनराम पुत्र नारायणराम
6. दीपाराम पुत्र नारायणराम
7. मूलाराम पुत्र नारायणराम (पूर्व से फौत)
8. मालाराम पुत्र नारायणराम

   जातियान जाट निवासी ग्राम बिरमपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामांतरकरण सं. 375, जो तहसीलदार, शेरगढ द्वारा दिनाक 21.05.1993 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री मोहनराम पूनिया, श्री रोशनलाल, श्री दिवाकर शर्मा (अपीलार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा (प्रत्यर्थी सं. 03 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (प्रत्यर्थी सख्या 1 व 2 की ओर से)
4. शेष प्रत्यर्थीगण 4 से 6, 8 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय **दिनांक 25.06.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम सोईन्तरा (वर्तमान ग्राम बिरमपुरा) के नामांतरकरण सं. 375 पर तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.1993 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 19.09.2022 को पेश की गई है। अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के तहत मय शपथपत्र पेश किया गया है।

2. प्रकरण दर्ज कर प्रत्यर्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 3 चन्दू की ओर से श्री कानाराम गोदारा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 1 लूम्बाराम व अप्रार्थी सं. 2 ओमी की ओर से श्री रूघाराम चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी सं. 7 मूलाराम की मृत्यु अपील पेश करने से पूर्व ही हो चुकी थी तथा अपील पेश करने के बाद दिनांक 24.01.2023 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया था, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.05.2025 से खारिज किया गया। अतः मूलाराम प्रत्यर्थी 7 के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं होने से मूलाराम के हक तक अबेट की जाती है। प्रत्यर्थी सं. 4, 5, 6, 8 पर नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि यह अपील मूल खातेदार बगताराम की जायंदा पुत्री जिया द्वारा पेश की गई है। अपीलांट को अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 375 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.09.2022 को नकल लेने पर हुई। जब प्रत्यर्थीगण ने खेत जोतने में बाधा उत्पन्न की। इससे पहले अपीलांट को इसकी जानकारी नहीं थी। प्रत्यर्थी ने सिविल कोर्ट बालेसर द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 26.08.2022 की प्रति पेश की है, जिसमें अपीलांट पार्टी ही नहीं थी। अतः वह उस विवाद से अवगत नहीं थी। अपीलांट बगताराम की जायंदा पुत्री होने से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में सन् 2005 में किये गये संशोधन के अनुसार पुत्रों के समान जन्म से ही पिता की पैतृक संपति में हक हिस्सा प्राप्त करने की कानूनी रूप से हकदार है, नियमित वाद से अपीलांट को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अपीलांट के अधिकार तो जन्म से ही तय है

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तथा प्रत्यर्थीगण ने अपीलांट का बगताराम की पुत्री होने के तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है। अतः पैतृक संपति में अपीलांट के अधिकार को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करने के कारण नामांतरकरण शून्य व अमान्य है जिसमें म्याद के बिदु पर कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अतः सिर्फ उत्तराधिकारियों की जाचं कर सभी के नाम रिकॉर्ड में इन्द्राज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को प्रतिप्रेषित किया जावे। अतः अपील स्वीकार की जावे।

5. प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री रूघाराम चौधरी ने बहस करते हुए कथन किया कि इस प्रकरण में बगताराम की सपंति बाबत विवाद है। जिसमें अपीलांट हिस्सा मांग रही है। जीया बगताराम की पुत्री है यह एक स्वीकार्य तथ्य है। इस बाबत प्रत्यर्थी 3 ने कोई ने कोई हल्फनामा पेश नहीं किया है। सिविल कोर्ट में विवाद गोरखाराम की संपति में गोरखाराम के वारिसान के मध्य है। प्रत्यर्थी सं. 4 से 8 तक केता है। अतः अपीलांट द्वारा हिस्सा मांगने पर प्रत्यर्थीगण के वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से प्रभावित होंगे। परंतु बगताराम की संपति का उत्तराधिकार हिन्दु उत्तराधिकार कानून के प्रावधानानुसार ही होना है। इस न्यायालय को नामांतरकरण सं. 375 में दर्ज वारिसान सही है या गलत है?, का निर्धारण करना हे।

6. प्रत्यर्थी सं. 3 चंदू के विद्वान अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने बहस करते हुए तर्क दिया कि इस प्रकरण के विवाद का निपटारा सिर्फ नियमित वाद के जरिये ही हो सकता है। नामांतरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त फिस्कल कार्यवाही है, जिसमें पक्षकरों के हक, हितों, अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता। विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया है कि अपीलांट को नामांतरकरण सं. 375 दिनांक 21.05.1993 की जानकारी शुरू से ही थी, फिर भी 30 वर्ष बाद में यह अपील पेश की है। नामांतरकरण सं. 375 की स्वीकृति के बाद आराजी का विभाजन हो चुका है, खाते अलग अलग हो चुके है। प्रत्यर्थी ओमी ने सिविल कोर्ट में दावा पेश किया है, जिसमें विविध प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2022 को खारिज होने से अपीलांट जिया से यह झूठी अपील कराई है, जो 30 वर्षो की देरी से होने से खारिज योग्य है। जवाब के साथ आदेश दिनांक 26.08.2022 की प्रति पेश की। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील भी खारिज की जावे।

मेरिट पर बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट ने स्वयं को बगताराम की जायंदा पुत्री बताकर 21.05.1993 को पारित नामांतरकरण सं. 375

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

को निरस्त करवाने हेतु यह अपील पेश की है। अपीलांट इसी गांव सोईन्तरा (नया बिरमपुरा) की ही निवासी है। नामांतरकरण के बाद बंटवारा हो गया। बगताराम के दो पुत्र लूम्बाराम व गोरखाराम है। गोरखाराम की पुत्रियों चन्दू व ओमी के मध्य, गोरखाराम की पत्नी लूणी द्वारा चंदू के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि की वसीयत को लेकर सिविल कोर्ट बालेसर में वाद चल रहा है, जिसमें ओमी द्वारा प्रस्तुत दावे के साथ पेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2022 को खारिज हो गया है परंतु मूल वाद अब भी चल रहा है जिसकी जानकारी अपीलांट को भली भांति है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आई है। अगर अपीलांट का कोई हक है तो वह नियमित वाद दायर कर सकती है। अतः अपील खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलखों, संबंधित विधि का अध्ययन किया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गंभीरता से विचार कर उन पर गहनता से मनन किया।

a) पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत स्थिति उभरकर सामने आई कि ग्राम सोईन्तरा का ख.नं. 118/1 रकबा 58 बीघा, ख.नं. 115/1 रकबा 12–07 बीघा, ख.नं. 123/1 रकबा 41–12 बीघा, ख.नं. 126/2 रकबा 25–06 बीघा, ख.नं. 117 रकबा 0–08 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 147–13 बीघा नामांतरकरण सं. 375 अनुसार बगताराम पुत्र रूपाराम की खातेदारी में दर्ज है। यह नामांतरकरण दिनांक 21.05.1993 को बगताराम के 20 दिन पूर्व फौत होने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किया है तथा दिनांक 21.05.1993 को ही तहसीलदार शेरगढ द्वारा ग्राम विकास शिविर में कैम्प सोईन्तरा में स्वीकार किया गया है तथा जमाबंदी में खाता सं. 128 में अमल दरामद किया गया है।

उक्त दिनांक 21.05.1993 को स्वीकृत नामांतरकरण को अपास्त करने हेतु यह अपील 30 वर्ष बाद दिनांक 19.09.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई है।

b) अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनयिम 1963 को प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना यह न्यायालय न्यायोचित पाता है।

c) (i)अपील के साथ ग्राम सोईन्तरा के खाता सं. 45 की संवत् 2073–2076 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) के अनुसार ख.नं. 115/1 रकबा 1.9911 हैक्टेयर, ख.नं. 117 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, ख.नं. 118/1 रकबा 9.3887 हैक्टेयर, ख.नं. 126/2 रकबा 5.7142 हैक्टेयर कुल खसरे 4, कुल रकबा 17.1587 हैक्टेयर, ओमी पुत्री

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

गोरखाराम 1/6 हिस्सा, चन्दू पुत्री गोरखाराम 1/3 हिस्सा, लूम्वाराम पुत्र वगताराम 1/2 हिस्सा दर्ज है।

(ii) इसी प्रकार ग्राम सोईन्तरा की जमावंदी संवत् 2073–2076 जमावंदी 2078 (वर्ष 2022) के खाता सं. 44 अनुसार खसरा सं. 123/1 रकवा 6.7340 हैक्टेयर भूमि प्रत्यर्थी अखाराम, अर्जुनराम, दीपाराम, जेठीदेवी, झमूदेवी पुत्री मूलाराम, धर्माराम, वावूराम, भारतराम पिता मूलाराम, पूरां देवी पत्नी मूलाराम, प्रमिला पुत्री राजूराम, दिलीप पुत्र राजूराम, जमना पत्नी राजूराम, मालाराम पिता नारायणराम व ओमी, चंदू पुत्रियां गोरखाराम तथा लूम्वाराम पुत्र वगताराम की खातेदारी में विभिन्न प्रकार के हिस्से दर्ज करते हुए दर्ज है तथा कुछ सहखातेदारान का हिस्सा वैंको के पक्ष में रहन के रूप में राहिन दर्ज है।

d) उक्त विंदु सं. (c) के (i) एवं (ii) में अंकित विवरण अनुसार स्पष्ट है कि वगताराम के नाम विंदु (a) में वर्णित अनुसार दर्ज सात खसरों की कुल 147–13 वीघा भूमि के दो खाते अलग–अलग सृजित हुए है तथा दोनों ही खातों में सहखातेदार भी अलग–अलग है तथा हिस्से भी दर्ज है।

वगताराम के फौत होने पर आराजी लूम्वाराम व गोरखाराम के नाम 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज की गई। गोरखाराम के फौत होने पर वारिसान पत्नी लूणी देवी, पुत्रियां ओमी व चंदू के नाम 1/3 हिस्सा प्रत्येक का दर्ज हुआ। लूणी देवी ने अपना 1/3 हिस्सा रजिस्टर्ड वसीयत से चन्दू के पक्ष में तर्क कर दिया, जिसको लेकर सिविल न्यायालय, बालेसर में सिविल वाद विचाराधीन है। इस अपील को अगर स्वीकार किया जाता है तो गोरखाराम का हिस्सा 1/2 की जगह 1/3 हिस्सा हो जायेगा तथा चंदू व ओमी का हिस्सा निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसी प्रकार प्रत्यर्थी सं. 4 से 6, 8 के नाम वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से भी प्रभावित होंगे। इस प्रकार खसरा सं. 123/1 व अन्य खसरों का आपसी विभाजन होने से अभिलेख में दर्ज सहखातेदारान के अधिकार, हक इस अपील को स्वीकार करने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

e) नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसमें पक्षकारों के हक, अधिकार, हितों का निर्धारण नहीं हो सकता, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है। यह सही है कि अपीलांट का जन्म से ही पैतृक संपति में कानूनी रूप से अधिकार/हक व हिस्सा है, परंतु अपीलांट स्वयं की लापरवाही के कारण संयुक्त खातेदारी की आराजी का विभाजन होने, हस्तांतरण होने के कारण प्रकरण सिर्फ

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

साधारण विरासत का मानकर नामांतरकरण सं. 375 अपास्त करने मात्र से ही अंतिम रूप से निपटारा करने योग्य नहीं है।

f) 30 वर्ष की अवधि में हुए हस्तांतरण, रहन, विभाजन आदेशों को इस नामांतरकरण की अपील के माध्यम से अपास्त नहीं किया जा सकता। सहखातेदारान को अपना हिस्सा हस्तांतरित करने का अधिकार है तथा क्रेताओं ने भी उसी अनुसार अपने नाम हिस्सा दर्ज करवा लिया है, जिसे अपील को स्वीकार करने में कम करना होगा तथा उसी सीमा तक दस्तावेजों को अमान्य घोषित करना होगा, जो सिर्फ नियमित वाद के माध्यम से ही सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है तथा नामांतरकरण की समरी कार्यवाही में उक्त प्रकार के परिवर्तन संभव नहीं है।

8. उपर्युक्त विवेचनानुसार यह अपील खारिज योग्य है। अपीलांट सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर, उक्त तीस वर्ष की अवधि में हुए विभिन्न प्रकार के संव्यवहारों को अमान्य घोषित करवाने, अपना हक निर्धारित करवाने हेतु स्वतंत्र है।

9. लिहाजा उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जानी न्यायोचित है।

आदेश

10. अतः अपीलांट जिया द्वारा लूम्बाराम वगैरा के विरूद्ध ग्राम सोईन्तरा का नामांतरकरण सं. 375 दिनांक 21.05.1993 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार, शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.1993 को यथावत रखते हुए उसकी पुष्टि की जाती है। सक्षम न्यायालय द्वारा जरिये नियमित दावा में पारित निर्णय डिक्री अनुसार तहसीलदार शेरगढ कार्यवाही करे।

11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार शेरगढ को पुनः तुरंत लौटाया जावे।

12. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी) 25/6/25
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) 25/6/25
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर